

21/5/26

पत्राठ पेश हुई। वादी वकील उपर।
वादी वकील द्वारा प्रति वादीगण की
तलबी को मौका चाहा गया बुर्क
में अनेक अवसर दिये जा चुके
हैं अन्य अवसर दिये जाना उचित
नहीं है। अतः दावा अदम फेरवी में
09 R 5 1950 के तहत इसी स्तर
पर खारिज किया जाना है। पत्राठ
फैसल शुमार होकर कारखाने दफ्तर
हो।

१